न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 –137/2020(2020/00138)

अनवान : –

1. हरिराम पुत्र रूलीचन्द जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. रूलीचन्द पुत्र गणपत जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. मंगलचन्द पुत्र रूलीचन्द जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. हनुमान पुत्र रूलीचन्द जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
4. श्योबाई पुत्री रूलीचन्द जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
5. बिमला पुत्री रूलीचन्द जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
6. मीरा पुत्री रूलीचन्द जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री मुंशीराम गोस्वामी वादी
श्री सुरजीत बिजारणियां प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 04/12/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 एनटीआर के वर्तमान खाता सं 91/91 के मु0न0 51 के किला न0 3, 4 कुल किता 2 की कुल 0.480 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 रूलीचन्द के नाम, चक 5 डीपीएन के खाता संख्या 92/92 के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 13 ता 17, 24, 25 मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 6, 7, 11 ता 25, मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 ता 10, मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 4, 5 कुल किता 36 की कुल 9.108 हैक्टेयर नहरी बारानी मय रास्ता खाला प्रतिवादी संख्या 1 रूलीचन्द के नाम 1/2 हिस्सा, चक 4 डीपीएन के खाता संख्या 77/80 के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 16 ता 24, मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 7, 8, 13 ता 18, 23 ता 25, मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 10, 11, 20, 21 मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 3 ता 6, मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1, 2 कुल किता 29 की कुल 7.337 हैक्टेयर नहरी [illegible] खाला प्रतिवादी संख्या 1 रूलीचन्द के नाम 1/2 हिस्सा रा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:28:11 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु [illegible]तराधिकार अधिनियम [illegible] हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा गणपत की खातेदारी हुआ करती थी। गणपत से वादभूमि जो प्रतिवादी रूलीचन्द के नाम से दर्ज

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

है वह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन मिली थी। परन्तु प्रतिवादी रूलीचन्द ने कर्ता खान दान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी रूलीचन्द ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रूलीचन्द के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रूलीचन्द को वादी के दादा गणपत से विरासतन प्राप्त हुई है। जो चक 5 डीपीएन जमाबन्दी सम्वत 2029–38 के खाता संख्या 8 व चक 4 डीपीएन जमाबन्दी सम्वत 2029–38 खाता संख्या 6 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में 1/7 हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी हरिराम पुत्र रूलीचन्द जाति जाट निवासी खचवाना के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 2 एनटीआर सम्वत 2071–74 खाता संख्या 91/91 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 5 डीपीएन सम्वत 2071–74 खाता संख्या 92/92 प्रदर्श 2, नामान्तरकरण रजिस्टर चक 5 डीपीएन प्रदर्श 3, नामान्तरकरण रजिस्टर चक 5 डीपीएन प्रदर्श 4, खतौनी जमाबन्दी चक 5 डीपीएन सम्वत 2029–38 खाता संख्या 8 प्रदर्श 5, जमाबन्दी चक 4 डीपीएन सम्वत 2071–74 खाता संख्या 77/80 प्रदर्श 6, नामान्तरकरण रजिस्टर चक 4 डीपीएन प्रदर्श 7, जमाबन्दी चक 4 डीपीएन सम्वत सम्वत 2029–38 खाता संख्या 6 प्रदर्श 8, जमाबन्दी चक 4 एनटीआर सम्वत 2072–75 खाता संख्या 39 प्रदर्श 9, जमाबन्दी चक 4 एनटीआर सम्वत 2074 खाता संख्या 3 प्रदर्श 10 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया तथा कथन किया कि चक 4 एनटीआर के खाता संख्या 39/37 की कुल 3.162 है0 प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं के नाम रजिस्टर रिकार्ड में रखने हेतु कथन किया है एवं चक 2 एनटीआर के खाता संख्या 91/91 के मुरब्बा न0 51 की 0.480 हैक्टेयर भूमि के ऐसे कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नही किये है जिससे साबित होता हो कि मुरब्बा न0 51 की 0.480 हैक्टेयर वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:28:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 5 डीपीएन के खाता संख्या 92/92 के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 13 ता 17, 24, 25 मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 6, 7, 11 ता 25, मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 ता 10, मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 4, 5 कुल किता 36 की कुल 9.108 हैक्टेयर नहरी बारानी मय रास्ता खाला प्रतिवादी संख्या 1 रूलीचन्द के नाम 1/2 हिस्सा, चक 4 डीपीएन के खाता संख्या 77/80 के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 16 ता 24, मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 7, 8, 13 ता 18, 23 ता 25, मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 10, 11, 20, 21 मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 3 ता 5, मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1, 2 कुल किता 29 की कुल 7.337 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खाला प्रतिवादी संख्या 1 रूलीचन्द के नाम 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 रूलीचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें प्रतिवादी संख्या 1 रूलीचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 हरिराम एवं प्रतिवादी सं 2 मंगलचन्द प्रतिवादी संख्या 3 हनुमानप्रसाद को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/12/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:28:11 IST
Reason: SelfAttested